उपायुक्त का कार्यालय (जिला पंचायत शाखा), गिरिडीह ।

ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में एक–एक विशिष्ट व्यक्ति के मनोनयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने संबंधी सूचना

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के आ0सं0 160 दिनांक 05.06.2017 सहपठित ज्ञापांक 2016 दिनांक 05.06.2017 से प्राप्त निर्देशानुसार झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 15(2) के द्वारा ग्राम पंचायत में एवं झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 33(1)(ड.) सहपठित धारा 36(क)(6) एवं 36(ख)(8) के द्वारा पंचायत समिति में तथा धारा 49(1)(ड.) सहपठित 51(क)(6) एवं 51(ख)(7), (8) के द्वारा जिला परिषद में राज्य सरकार द्वारा एक–एक विशिष्ट व्यक्ति को मनोनयन करने का प्रावधान किया गया है । इस प्रावधान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में एक–एक व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाना है ।

उपर्युक्त पंचायती राज संस्था चुने हुए एवं जनतांत्रिक निकाय हैं एवं इन संस्थाओं में मनोनयन इसकी मूल भावना के मद्देनजर ऐसे व्यक्तियों का किया जाना उचित होगा जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की हो अथवा उल्लेखनीय कार्य किया हो एवं उनकी उपस्थिति से उन संस्थाओं के किया–कलापों को आगे बढ़ाने में योगदान प्राप्त हो ।

उपरोक्त के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में मनोनयन हेतु निम्न शर्तों के अधीन इच्छुक व्यक्तियों से **दिनांक 24.06.2017 तक** अभ्यावेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

(1) आवेदक संबंधित क्षेत्र के ही हों, अर्थात आवेदक यथास्थिति उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र/पंचायत समिति क्षेत्र/जिला परिषद क्षेत्र के सामान्यतया निवासी हों । तत्संबंधी प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
(2) आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष हो । उम्र संबंधी प्रमाण संलग्न करना होगा ।
(3) आवेदक झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम की धारा 19, 38, एवं 53 के प्रावधानों के अन्तर्गत अयोग्य घोषित न हो । तत्संबंधी स्वघोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
(4) आवेदक पर आपराधिक वाद न हो, न ही वे बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के wilful defaulter हो । तत्संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा ।
(5) आवेदक के घर में निजी शौचालय हो जिसका उपयोग उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता हो । तत्संबंधी शपथ पत्र शौचालय की फोटो के साथ संलग्न करना होगा ।
(6) आवेदक पंचायत राज, क्षेत्रीय विकास, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं Mobilization, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जलापूर्ति, स्थानीय/ग्रामीण अवसंरचना विकास, आई0टी0 के द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान, युवा कल्याण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास कृषि, पशुपालन, सिंचाई एवं अनुशांगिक कार्य, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया हो । तत्संबंधी प्रमाण यदि हो तो संलग्न करना होगा ।
(7) ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति में मनोनयन हेतु अभ्यावेदन संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में एवं जिला परिषद में मनोनयन हेतु अभ्यावेदन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परषिद, गिरिडीह के कार्यालय में समर्पित किया जाएगा ।
(8) अभ्यावेदन का प्रपत्र गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

13/06/17

ह0/-

उपायुक्त, गिरिडीह ।

12/6/17

District Panchayat Raj Officer
Giridih

उपायुक्त
गिरिडीह

12.06.17

मनोनयन हेतु इच्छुक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा निम्न रूप में व्यक्तिगत विवरणी प्रस्तुत किया जाएगा :-

प्रपत्र

..........................(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य के मनोनयन के लिए)

फोटो

1. नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. उम्र :-
4. शैक्षणिक योग्यता :-
5. पत्राचार पताः-
6. स्थायी पता :-
7. ग्राम पंचायत का नामः-
8. पंचायत समिति क्षेत्र का नामः-
9. जिला परिषद क्षेत्र का नाम एवं संख्याः-
10. क्या झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम की धारा 19,38 एवं 53 के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग्य घोषित है। (हाँ या ना, यदि हाँ तो कारण दें):-
11. कोई अपराधिक वाद चल रहा है?:-
12. क्या किसी भी वित्तीय संस्थान में डिफॉल्टर (दोषी/दिवालीया) है। (हाँ या ना) :-
13. क्या शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम है?:-
14. क्या आपके घर में निजी शौचालय है, जिसका उपयोग आपके एवं आपके परिवार के द्वारा किया जाता है। (हाँ या ना):-
15. विशिष्टता (यदि कोई हो):-

(मनोनीत सदस्य पंचायत राज, क्षेत्रीय विकास, स्वयं सहायता समूह के गठन एवं Mobilization, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जलापूर्ति, स्थानीय/ग्रामीण अवसंरचना विकास, आई0टी0 के द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान, युवा कल्याण, सामाजिक एवं साँस्कृतिक विकास, कृषि, पशुपालन, सिंचाई एवं अनुशांगिक कार्य, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया हो)।

16. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए विशेष कार्य किया हो :-
17. मोबाईल नं0 एवं ई-मेल पता :-

मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी सूचनाऐं मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है । इनमें से कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मैं दण्ड का भागी होऊगा/होऊगी ।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :– मनोयन के लिए अभ्यावेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के कार्यालय में समर्पित किया जाएगा ।

2. प्राप्त अभ्यावेदन पर आवश्यक जाँचोपरांत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद अपने मंतव्य के साथ उपायुक्त को प्रेषित करेंगे ।

3. उपायुक्त आवश्यक जाँचोपरांत अपने मंतव्य के साथ मनोनयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) को अभ्यावेदन समर्पित करेंगे ।

4. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 19, 38 एवं 53 के प्रावधानों के अन्तर्गत अयोग्य घोषित नहीं होने से संबंधित स्वघोषणा पत्र ।

5. आवेदक उसी ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का मतदाता होने संबंधी प्रमाण पत्र

अनिल/10.05.2017